

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या- जी-400/आई0बी0/108बी-22ए/अनु0-94/पूँजीले0/आवंटन/2017-18,

लखनऊ: दिनांक: अगस्त, 18, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-68/2017/2159/सत्ताइस-10-17-31बजट/16, दिनांक-11.08.2017 द्वारा लेखाशीर्ष-4702-102-03-0305-24 में प्राविधानित धनराशि रु 35,00,00,000.00 के 5/12वां भाग के अंतर्गत जनपद कन्नौज में 29 अदद नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना हेतु धनराशि रु 4,35,00,000.00 (रु चार करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को धनावंटन किये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है:-

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	अधिकारी का नाम	आवंटित धनराशि
(आकड़े लाख रु में)		
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)		
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
102-भू-जल		
03-नलकूप योजनाएं		
0305-नलकूपों का निर्माण	प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक)	
24- वृहत् निर्माण कार्य		435.00

(रु चार करोड़ पैंतीस लाख मात्र)


उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञाप एवं उपरोक्त शासनदेश दिनांक-11.08.2017 में अंकित नियमों/ शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या-जी-400/(1)/आई0बी0/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के क्रम में।
4. प्रमुख अभियन्ता, (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/ (अग्रिम नियोजन)/ (सूचना प्रणाली संगठन)/ सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (नलकूप-मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/श्री सुमेर, प्रधान सहायक (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. कट फाईल हेतु।


(राशिद रज्जा खां)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।